भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 594 / 2019
(एस.एल.पी. आपराधिक नं0 8103 / 2018 से उत्पन्न)

रशमी चोपडा ..... अपीलार्थी

बनाम्

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य ..... प्रतिवादी
के साथ

आपराधिक अपील संख्या 598 / 2019

(एस.एल.पी. आपराधिक नं0 8050 / 2018 से उत्पन्न)

अनीता गॉधी ..... अपीलार्थी
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य ..... प्रतिवादी

आपराधिक अपील संख्या 599 / 2019

(एस.एल.पी. आपराधिक नं0 8052 / 2018 से उत्पन्न)

नयन चोपडा मुख्तारनामा राजेश चोपडा द्वारा ..... अपीलार्थी

बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य..... प्रतिवादी
के साथ

आपराधिक अपील संख्या 597 / 2019
(एस.एल.पी. आपराधिक नं0 8042 / 2018 से उत्पन्न)

अमित चोपडा .....अपीलार्थी

बनाम्

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य .....प्रतिवादी
के साथ
(आपराधिक अपील संख्या नं0 596 / 2019)

(एस.एल.पी. आपराधिक नं0 8041 / 2018 से उत्पन्न)

कुलदीप गॉधी ..... अपीलार्थी
बनाम्
उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य..... प्रतिवादी

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

और

आपराधिक अपील संख्या 595 / 2019
(एस.एल.पी. आपराधिक नं0 8039 / 2018 से उत्पन्न)

राजेश चोपडा ..... अपीलार्थी

बनाम्
उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य ..... प्रतिवादी

निर्णय

न्यायमूर्ति अशोक भूषण

1. यह अपीलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश,दिनांक 08.08.2018 को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं,जिनके द्वारा धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता (द.प्र.सं.) के अर्न्तगत अपीलार्थी द्वारा शिकायत दर्ज करने की प्रार्थना करते हुए और शिकायत के मामले में कमप्लेंट केस नं0 4967 / 2015 को खारिज कर दिया गया है।

2. सभी अपीलें एक ही फैसले के खिलाफ दायर की गई है,मामले के तथ्य **आपराधिक अपील संख्याः** 594 / 2019 **–रश्मी चोपडा एवं बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य,**जिसमें आपराधिक अपील,उत्तर शपथपत्र और प्रतिवाद शपथपत्र दायर किया गया है। इन अपीलों को तय करने के लिए निम्न आवश्यक तथ्य हैः–

2.1 नयन चोपडा,पुत्र रश्मी चोपडा एवं राजेश चोपडा,का विवाह प्रतिवादी संख्या 2, इन्द्रजीत सिंह की पुत्री,वंशिका बोबल के साथ दिनांक 15.04.2012 को हुआ। सभी अपीलार्थी नयन चोपडा के परिवार के सदस्य हैं। रश्मी चोपडा, राजेश चोपडा, अमित चोपडा एवं अनीता गॉधी क्रमशः नयन चोपड.ा की मां, पिता, भाई एवं मौसी हैं,जबकि कुलदीप गॉधी अनीता गॉधी के पति हैं। नयन चोपड.ा अपनी मां, पिताएवं भाई के साथ 203, जैनती अपार्टपेन्ट ,थाना–बेगमपेट,हैदराबाद (आंध्रप्रदेश) के निवासी हैं। अनीता गॉधी एवं कुलदीप गॉधी ग्रेटर कैलाश–1 नई दिल्ली के निवासी हैं।

2.2 नयन चोपडा एवं वंशिका की शादी,जो कि नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर में दिनांक 15.04.2012 को हुई थी,वंशिका अपने पति के साथ हैदराबाद,अपने ससुराल,चली गई। दिनांक 28.04.2012 को वंशिका एवं नयन चोपडा यू.एस.ए. चले गये। नवंबर 2013 में या उसके आस–पास वंशिका एवं नयन चोपडा अलग हो गये। दिनांक 23.10.2014 को नयन चोपडा द्वारा एक प्रार्थनापत्र सर्किट कोर्ट,काउन्टी ऑफ कालामाजू फेमली डिविजन, मिशिगन,यू.एस.ए. में तलाक के लिए प्रस्तुत की ।
2.3 दिनांक 10.11.2014 को एक शिकायत प्रतिवादी संख्या 2.ने रजिसर्टड पोस्ट द्वारा पुलिस अधीकक्षक, गौतम बुद्ध नगर,नोएडा को भेजी, जिसमें राजेश चोपड.ा एवं दो अन्य अनजान व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाये। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एक प्रार्थनापत्र धारा 156 (3) द.प्र.सं. के अर्न्तगत दायर की गई। प्रतिवादी संख्या 2 का प्रार्थनापत्र मजिस्ट्ट द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अर्न्तगत चलाए जा रहे मध्यस्थता

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

केन्द्र में सलाह के लिए भेज दिया। सलाह एवं मध्य मध्यस्थता की असफलता के बाद धारा 156 (3) द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रतिवादी सं0 2 द्वारा दिनांक 10.05.2015 को सभी अपीलार्थियों के खिलाफ धारा 498 ए एवं धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के तहत आरोप लगाते हुए दाखिल किया गया।

2.4 शिकायत में राजेश चोपडा और उनके सहयोगियों के खिलाफ दिनांक 08.11.2014 की घ ाटना के आधार पर आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप लगाया गया कि राजेश चोपड.ा ने नयन चोपडा और वंशिका की समस्या के बारे मे बात करने के लिए सेक्टर 18 नोएडा में गुरूद्वारे के पास प्रतिवादी सं0 2 को बुलाया और जब प्रतिवादी सं0 2 बातचीत के लिए गया तो उसने दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ राजेश चोपड.ा से मुलाकात की। प्रतिवादी संख्या 2 ने आगे आरोप लगाया कि उनकी बेटी को स्वीकार करने के अनुराध पर ,राजेश चोपडा ने एक करोड. रूपये की मांग को दोहराया और वंशिका के खिलाफ गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसपर प्रतिवादी संख्या 2 ने आपत्ति जताई, जिसपर राजेश चोपडा और उनके सहयोगी नाराज हो गए और उन्होंने दुर्व्यवहार किया और प्रतिवादी नं0 2 को मारा और उसकी गर्दन से सोने की चेन और उसकी जेब से 60,000 रूपये छीन लिए। उपरोक्त घटना के आधार पर धारा 323,324,504,506,392 भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) के अन्तर्गत आरोप लगाए गए थे। आवेदन में यह भी कहा गया है कि नयन चोपडा ने अमेरिका में विवाह विच्छेद के लिए एक याचिका दायर की है।

2.5 नयन चोपडा के प्रार्थनापत्र में तलाक के आरोपों के आधार पर काउनटी ऑफ कालामाजु फेमली डिविजन के लिए सर्किट 9 वी अदालत, मिशिगन ने 24.02.2016 को तलाक का फेसला दिया। तलाक के फैसले का आदेश नयन चोपडा और वंशिका बोबल, दोनों को सुनने के बाद पारित किया गया था जिनका प्रतिनिधित्व वकीलों ने किया था। तलाक के फेसले ने गुजारा भत्ता, पेंशन लाभ और सेवानिवृत्ति लाभ ,जीवन बीमा, संपत्ति निपटान और दहेज के एवज में प्रावधान,दावों की आपसी रिहाई और अन्य प्रावधान किए।

2.6 प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर धारा 156 (3) द.प्र.सं. के तहत आवेदन को एक शिकायत नंबर 4967/2015 के रूप में दर्ज किया गया था, जिस पर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतम बुद्ध नगर ने 17.01.2017 को एक सम्मन आदेश जारी किया और अपीलकर्ताओं को 498 ए,323,504,506 आई.पी.सी. और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रस्तुत होने का आदेश दिया।

2.7 अपीलकर्ताओं ने धारा 482 दं. प्रं. सं. के तहत उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया और शिकायत वाद नंबर 4967 ऑफ 2015, की विवेचना और उसमें पारित आदेश दिनांक 7.01.2017 को रद्द करने के लिए प्रार्थना की। धारा 482 दं.प्रं.सं. के तहत आवेदन में, उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित कर इस मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय/की मध्यस्थता
केन्द्र के रूप में संदर्भित किया। पार्टियों के बीच मध्यस्थता
विफल रही, धारा 482 दं.प्र.सं.के तहत आवेदन सुना गया। अपीलकर्ताओं की शिकायत और कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना से इनकार कर दिया गया। आवेदन को यह निर्देश देने के बाद निस्तारित कर दिया गया कि आवेदक नीचे की अदालत में आत्मसमर्पण कर सकते हैं और दो महीने की अवधि के भीतर जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के फेसले के खिलाफ ये अपीलें दायर की गई।

3. सभी अपीलें धारा 482 दं.प्र.सं के तहत आवेदन में पारित एक ही आदेश से उत्पन्न होती हैं

4 हमने अपीलकर्ताओं के लिए श्री शिखिल सूरी, विद्वान अधिवक्ता,प्रतिवादी संख्या 2 के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कृष्णन,एओआर को सुना। हमने उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

5. अपीलकर्ताओं के वकील ने यह कहा कि उच्च न्यायालय धारा 482 दं. प्र.सं के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा है। संपूर्ण शिकायत कार्यवाही को समाप्त करने में जो कार्यवाही की गई वह अदालत की प्रक्रिया का दुरूपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि नयन चोपड.ा और वंशिका बोबल को मिशिगन के फेमली कोर्ट द्वारा पहले ही तलाक दे दिया गया था, जो कि तलबी आदेश पारित होने से पहले प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मजिस्ट्रेट के ध्यान में नहीं लाया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि शिकायत पढने से प्रथम दृष्टया अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। अपीलकर्ता,अनीता गॉधी और कुलदीप गॉधी अलग रहते हैं और वे शादी के बाद लड.की वंशिका से कभी नहीं मिलें हैं। शिकायत में आरोप अस्पष्ट ,व्यापक और सामान्य हैं। शिकायत लड.की वंशिका द्वारा दर्ज भी नहीं की गई और न ही उसने शिकायत के समर्थन में अपना बयान दर्ज किया है। अभी तक नोएडा के सेक्टर 18 में 08.11.2014 को हुई घटना के अनुसार ऐसी कोई घटना नहीं हुई और आरोप झूठे हैं और किसी तरह से लड.के नयन चोपड.ा के पिता राजेश चोपड.ा को फंसाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। शिकायत सक्षम व्यक्ति द्वारा दर्ज नहीं की गई है, इसलिए इसका संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए।

6. श्री संतोष कृष्णन, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि दण्डाधिकारी द्वारा 17.01.2017 के आदेश से अपीलकर्ताओं को बुलाने में कोई त्रुटि नहीं है। यह अच्छी तरह से तय है कि मजिस्ट्रेट को किसी अभियुक्त को बुलाने के लिए विस्तृत कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। शिकायत में धारा 498 ए और उसके तहत उल्लिखित अन्य अपराधों के तहत अपराध से संबंधित कई आरोपों का खुलासा किया गया हैं दो अदालतों ने इस मामले पर एक विशेष विचार रखा, यह न्यायालय आदेशों के साथ हस्तक्षेप करने में अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि धारा 498 ए यह नहीं दर्शाता है कि महिलाओं की ओर से शिकायत स्वयं महिलाओं द्वारा दायर की जानी चाहिए शिकायत पूरी तरह से सक्षम थी और शिकायत का संज्ञान लेने में मजिस्ट्रेट द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

7. पक्षकारों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने तर्कों के समर्थन में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को आधार बनाया जिन पर विस्तार से विचार किया जायेगा।

8.हमनें पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा रखे गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का परिशीलन किया।

9. धारा 156(3) दं.प्र.सं के तहत शिकायत की प्रतिलिपि, जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा निजी शिकायत के रूप में माना गया है, को संलग्नक पी–2 के रूप में रिकॉर्ड पर लाया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शादी 15.04.2012 को संपन्न हुई थी जिसमें 50 लाख रूपये के उपहार नयन चोपड.ा और उनके परिवार के सदस्यों को दिए गए थे।आरोप है कि विवाह के बाद, परिवार के सभी सदस्य उपहारों से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने एक करोड. रूपये के दहेज की मांग करते हुए प्रतिवादी नंबर 2 की बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने पंजाबी संस्कारों और समारोहों के अनुसार वंशिका के विवाह को करवारने के लिए दबाव डाला, जिसपर पंजाबी संस्कार ओर समारोहों के अनुसार नोएडा के सेक्टर 37 में गुरूद्वारा में 06.11. 2012 को विवाह को संपन्न कर दिया गया। आगे आरोप है कि नयन चोपड.ा के परिवार के लोग वंशिका को घर से निकालने की ामकी देते रहे और 01.12.2013 को नयन चोपड.ा ने वंशिका को घर से निकाल दिया और तब से वंशिका प्रतिवादी संख्या 2 के साथ रह रही है । आरोपों का एक अन्य से दिनांक 08.11.2014 की घटना के संबंध में है। आरोप लगाया गया है कि यह 06.00 बजे पूर्वाहन में गुरूद्वारा, सेक्टर 18, नोएडा के पास हुआ था। यह आरोप लगाया गया है कि नयन चोपड.ा के पिता राजेश चोपड.ा ने उनकी समस्या के बारे में बात करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को फोन किया जिस तारीख को राजेश चोपड.ा ने फिर से अपनी एक करोड.रूपये की मांग को दोहराया और वंशिका के खिलाफ गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 ने आपत्ति जताई जिस पर राजेश चोपड.ा और उनके सहयोगी नाराज हो गए और उन्होंने प्रतिवादी संख्या 2 को गाली दी और मारपीट की और उसके गले से सोने की चेन और उसकी जेब से 60,000 रूपये छीन लिए। उपर्युक्त 2 सेट आरोपों ने सम्मन आदेश को जन्म दिया है। मजिस्ट्रेट द्वारा 17.01.2017 को दिया गया सम्मन आदेश निम्नानुसार हैः–

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

'' आदेश ''

आरोपी व्यक्तियों नयन चोपड.I, राजेश चोपड.I,राशी चोपड.I,अमित चोपड.I,कुलदीप गॉधी और अनीता गॉधी को धारा 498 ए,323,504,506 आई.पी.सी. और धारा 3/4 डी.पी. अधिनियम के तहत अपराध के लिए तलब किया गया है। शिकायतकर्ता को एक सप्ताह के भीतर नियमों के अनुसार कदम उठाने के लिए निर्देशित किया जाता है।

ह0 अपठनीय
17.01.17

(विकास)
सिविल जज (जूनियर डिविजन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
गौतम बुद्ध नगर

10. प्रतिवादी संख्या 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गए तर्कों में एक यह हे कि मजिस्ट्रेट का संतुष्ट होना ही कार्यवाही के लिए आधार हे और अभियुक्त को बुलाने के लिए कोई विस्तृत कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।
11. प्रतिवादी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट्स एवं एक्सपोर्ट्स वर्सेस रोशनलाल अग्रवाल और अन्य (2003) 4 एससीसी 139 पर निर्भरता रखी है, इस न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय के पैरा नं0 9 निम्नलिखित निर्धारित किया हैः–

9. इस सवाल का निर्धारण करने में कि क्या किसी भी प्रकार का प्रोसेस जारी किया जाना है या नहीं, मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना चाहिए कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हे कि नहीं, न कि ये कि दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार है कि नहीं। सबूत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है कि नहीं, यह सिर्फ परीक्षण पर नहीं। आरोपी को प्रक्रिया जारी करने के चरण में मजिस्ट्रेट को कारणों को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है।
इस प्रश्न पर हाल ही में उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाम मोहन मीकिन्स लिमिटेड (2000) 3 एससीसी 745 में विचार किया गया था और कांति भंद्र बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2000) 1 एससीसी में निर्धारित कानून को अधिसुचित के बाद यह कहा गया जैसा कि उद्धृत किया गया (एस.सी.सी.पी. 749,पैरा) विधायिका ने कुछ स्थितियों में कारणों को दर्ज करने पर जोर दिया है जैसे प्रक्रिया जारी करते समय विस्तृत आदेश पारित करने के लिए मजिस्ट्रेट पर इस तरह की कोई कानूनी आवश्यकता थोपी नहीं जाती है। अभियुक्त को जारी की गई प्रक्रिया को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि मजिस्ट्रेट ने बोल कर आदेश पारित नहीं किया है।
12. इस अदालत द्वारा नूपूर तलवार बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2012) 11 एससीसी 465 में एक ही प्रस्ताव को पुनर्निदेशित किया गया था।–

इस अदालत द्वारा निर्धारित उक्त प्रस्ताव का कोई विवाद नहीं हो सकता है कि किसी अपराध को संज्ञान में लेते समय,मजिस्ट्रेट को एक विस्तृत आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है, हालांकि ऐसे मामले में जब मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रक्रिया जारी करता है, जिसे उस अपराध के लिए आरोपित नहीं किया गया जिसके लिए उसे बुलाया गया है, चाहे ऐसे मामले में भी सम्मन आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है।
13.वर्तमान मामले में, आरोपों के दो सेट है, जो शिकायत में निहित है, जो प्रतिवादी नंबर 2 और उनके दो गवाहों अभियोजन साक्षी 1 राजकुमार प्रतिवादी नंबर 2 के भाई और अभियोजन साक्षी 2 दीपा जो कि प्रतिवादी नंबर 2 की पत्नी है, द्वारा दर्ज किये गये बयानों में भी दोहराया गया है। धारा 498 ए और डी.पी. अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराध के आरोपों का एक सेट एवम आरोपों के दूसरे सेट धारा 323,504 और 506 के तहत अपराध के आरोप लगाये गये है।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

14.हम पहले आईपीसी की धारा 323,504 और 506 के तहत अपराधों के लिए आरोपों को उठा सकते है। यह आरोप धारा 323,504 और 506 के तहत 08.11.2014 की घ्टना का हवाला देते हुए लगाए हैं।घटना दिनांक 08.11.2014से संबंधित संपूर्ण आरोपों का उद्धरण करना आवश्यक है जिसके निम्नलिखित प्रभाव हैः– .....08.11.2014 को लगभग 6 बजे नयन चोपड.ा के पिता राजेश चोपड.ा ने आवेदक को उनकी समस्या के बारे में बात करने के लिए नोएडा के सेक्टर 18 में गुरूद्वारे के पास बुलाया। जब आवेदक बात करने के लिए वहां पहुंचा तो उसने वहां दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ राजेश चोपड.ा से मुलाकात की। जब आवेदक ने राजेश चोपड.ा से अपनी बेटी को स्वीकार करने का अनुरोध किया, तो राजेश चोपड.ा ने फिर से एक करोड. रूपये की मांग को दोहराया और कहा कि अगर वह एक करोड.रूपये की व्यवस्था की है, तो वह अपने बेटी को उनके घर भेज सकते है, अन्यथा वंशिका को अपने ही घर पर रखे। राजेश चोपड.ा वंशिका के विरूद्ध भद्दी गालियों का भी इस्तेमाल किया फिर आवेदक ने उसी के लिए आपत्ति जताई,जिस पर राजेश चोपड.ा और उनके सहयोगी नाराज हो गये और उन्होंने आवेदक के साथ दुर्व्यवहार और मार–पीट की और उसके गले से सोने की चैन और उसकी जेब से 60,000 रूपये भी छीन लिए। आवेदक की पत्नी और कई अन्य लोग मौके पर एकत्र हो गये और आवेदक को उनसे बचाया इन लोगों ने जाते समय आवेदक को धमकी दी कि एक करोड. रूपये व्यवस्था करने के बाद वह अपनी बेटी को उनके घर भेज सकता है, अन्यथा उसे अपने घर पर ही रखे और अगर उसने पुलिस को सूचित करने की हिम्मत की तो वे आवेदक और उसकी बेटी वंशिका को मार डालेंगे।

15.शिकायतकर्ता द्वारा अपने प्रस्तुती समर्थन में दिये गए बयान में , शिकायतकर्ता ने घटना के संबंध में उसी आरोपों को दोहराया है जो दिनांक 08.11.2014 को शिकायत के रूप में किया गया था,जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। पीडब्लू–2 ,दीपा प्रतिवादी नंबर 2 की पत्नी भी घटना 08.11.2014 में शिकायत में वर्णित आरोपों को दोहराया। शिकायत में आरोपों का अवलोकन यह स्पष्ट करता हे धारा 323,504 और 506 के तहत अपराधों के संबंध में शिकायत केवल राजेश चोपड.ा और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ की गई है। न तो शिकायत में और न ही बयानों में जो कि शिकायतकर्ता अथवा उसके गवाहों के द्वारा की गई , हमारे सामने किसी अन्य अपीलकर्ताओं के खिलाफ उपरोक्त अपराधों के संबंध में कोई आरोप है। मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत या बयान में धारा 323,504 और 506 के तहत अपराधों के लिए कोई आक्षेप नहीं है, आईपीसी की धारा 323,504 और 506 के तहत अपराधों के लिए अन्य अपीलकर्ताओं को बुलाने का कोई सवाल ही नहीं था जब शिकायतकर्ता किसी अपीलकर्ताओं के विरूद्ध कोई अपराध आरोपित नहीं करता, तब हम यह देखने में विफल रहते है कि धारा 323,504 और 506 के तहत अपराधों के संबंध में शिकायत का संज्ञान अन्य अपात्रों के खिलाफ कैसे लिया जा सकता है। ऊपर के मामलों को देखते हुए शिकायत और और बुलावा का आदेश खारिज किये जाने कि लिए उत्तरदायी है उपरोक्त दिये गये कारणों के कारण,राजेश चोपड.ा को छोड.कर।

16. अब, हम शिकायत में धारा 498 ए और डी पी अधिनियम 314 के तहत आरोपों पर आते है। अपने प्रस्तुति के समर्थन में प्रतिवादी के लिए, विद्वान अधिवक्ता धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति को असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग किया जाना इस अदालत के फेसले पर निर्भर है राखी मिश्रा बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2017) 16 एससीसी 772 उपरोक्त मामले में इस अदालत ने सोने गुप्ता बनाम दीपक गुप्ता, (2015) 3 एस सी सी 424 यह अदालत ने पहले के फैसले पर भरोसा जताया है, जिसमें पैरा 8 में निम्नलिखित प्रस्ताव में निर्णय निर्धारित किया गया था जिसे संदर्भित किया गया है :–

''8..... संज्ञान के चरण में और मजिस्ट्रेट को बुलाने के लिए अपने न्यायिक ज्ञान को केवल अपराध का संज्ञान लेने की दृष्टि से लागू करना आवश्यक है'' .....

यह पता लगाने के लिए कि क्या आरोपी व्यक्तियों को बुलाने के लिए एक प्रथम दृष्ट्या मामला बनाया गया है। इस स्तर पर, विद्वान मजिस्ट्रेट को रक्षा संस्करण या सामग्री या तर्कों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती और न ही उसे शिकायतकर्ता के साक्ष्य के गुणों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती हैं ,क्योंकि मजिस्ट्रेट को इस चरण का पता लगाने के लिए अभ्यास नहीं करना चाहिए कि सामग्री दोषसिद्धि की ओर इंगित करती है या नही।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

17. राखी मिश्रा के मामले में इस अदालत ने यह भी निर्धारित किया है कि आसाधारण परिस्थितियों में उच्च न्यायालय धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है जब अभियुक्त के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है
निर्णय की पैराग्राफ नं.5 इस प्रकार है–

'' 5. ट्रायल कोर्ट द्वारा आर–2 और आर–4 से आर–9 के खिलाफ संज्ञान लेते हुए पारित आदेश उक्त निर्णय में निर्धारित कानून के अनुरूप है। यह एक व्यवस्थित कानून है कि धारा 482 द. पं सं. के तहत शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा केवल असााधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है जब अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। एक अभियोजन पक्ष के प्रारंभिक चरण में हस्तक्षेप के लिए इस अदालत द्वारा लागू किया गया परीक्षण अनियंत्रित आरोपों का प्रथम दृष्टया एक मामले को सीापित करता है.''

18. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा जताया है। के.सुब्बा राव और बनाम तेलंगाना राज्य, (2018) 14 एस सी सी 452 में यह न्यायालय ने पैरा संख्या 5 और 6 का अनुसरण किया है।

''5. चार्जशीट और अनुपूरक चार्जशीट का अवलोकन इस तथ्य को उजागर करता हे कि अपीलकर्ता तीसरे प्रतिवादी – पति के तत्काल परिवार के सदस्य नहीं है। वे तीसरे प्रतिवादी के मामा हैं। विस्तारहीन बयान को छोड.कर कि उन्होंने तीसरे प्रतिवादी का समर्थन किया जो दहेज के लिए दूसरे प्रतिवादी को परेशान कर रहा था और उन्होंने तीसरी प्रतिवादी के साथ अपने बच्चे को यू.एस. ए ले जाने की साजिश रची, अपराध में उनकी भागीदारी का संकेत देने के अलावा और कुछ भी नहीं बताया गया था। जांच लंम्बित रहने पर अपील कर्ताओं ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय के निस्तारण के बाद आरोप–पत्र और अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।

6. जब तक किसी अदालत की प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं होता है तब तक आपराधिक कार्यवाही हमारे द्वारा वादकालीन आवेदन की स्थिति पर सामान्य रूप से नहीं की जाती है। यह अदालत,उसी समय,न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के लिए हस्तक्षेप करने में संकोच नही करती है। हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल,1992 पूरक देखें। (1) एस एस सी 335 अदालतों को वैवाहिक विवाद और दहेज हत्या से संबंधित अपराधों में दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने में सावधानी बरतनी चाहिए। जबतक अपराध में उनकी संलिप्तता के विशिष्ट उदाहरण सामने नहीं आते हैं,पति के रिश्तेदारों को सर्वव्यापी आरोपों के आधार पर रोपित नहीं किया जाना चाहिए। कंसराज बनाम पंजाब राज्य, (2000) 5 एस एस सी 207 कैलाश चन्द्र अग्रवाल बनाम राज्य (2014) 16 एस एस सी 551 देखें।

19. विनीत कुमार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2017) 13एस एस सी 369 की इस अदालत में आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग के मापदंडों की जांच करने का अवसर था। हममें से एक (न्यायमूर्ति अशोक भूषण) खंड 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के दायरे की जांच करने के बाद बेंच की ओर से बोलते हुए, जो पैरा संख्या 22 से 25 में निम्नलिखित हैः

''22.वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रवेश करने से पहले हमें उच्च न्यायालय में निहित दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र के दायरे पर विचार करना आवश्यक है। धारा 482 सी.आर.पी.सी इस तरह के आदेश देने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को बचाता है जैसा कि इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए, या किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

23. यह न्यायालय ने कई बार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के दायरे की जांच करता है और कई सिद्धांतों को निर्धारित कर देता है जो दण्ड प्रक्रिया की धारा 482 के तहत उच्च न्यायलय के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करता है। कर्नाटक राज्य बनाम एल मुनीस्वामी, (1977) 2 एस एस सी 699 में इस अदालत की ती न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अगर यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देने के लिए उच्च न्यायालय एक कार्यवाही को रद्द करने का हकदार है या न्याय के सिरों की आवश्यकता है कि कार्यवाही को खारिज कर देना चाहिए । निर्णय के पैरा 7 में, निम्नलिखित कहा गया है :–

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

''7.... इस सम्पूर्ण शक्ति के प्रयोग में, उच्च न्यायालय एक कार्यवाही को रद्द करने का हकदार हे यदि यह निष्कर्ष पर आता है कि कार्यावाही को जारी रखने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा अथवा न्याय के सिरों को कार्यवाही की आवश्यकता होती है कि कार्यवही को खारिज होनी चाहिए।

उच्च न्यायालय के दोनों दीवानी और फौजदारी मामलों में अर्न्तनिहित शक्तियों इस लोकहित वादी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाये गये है कि जो यह है कि न्यायालय की प्रक्रिया इस तरीके से नहीं होगी जिसको की प्रताडि.त और उत्पीडि.त करने के उद्देश्य से हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकें।

किसी फौजदारी वाद में अभियोजन पक्ष के अर्न्तनिहित उद्देश्य और सारतत्व की प्रकृति जिसपर अभियोजन पक्ष के वाद का ताना बाना गठित होता हे कि इस प्रकार से होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा न्याय के हित में किसी प्रक्रिया को जो संस्थित करने योग्य न हो रद्द किया जा सकें।

न्याय की चरमता हमेशा कानून की चरमता से ऊपर होनी चाहिए। अर्थात न्याय हमेशा उस कानून के तहत होना चाहिए जो कि विधायिका द्वारा बनाये गये हो । इस सभी चीजों की आंकलन करने की जोरदार आवश्यकता इसलिए है कि बिना प्रावधानें के उचित आवश्यकता और उद्देश्य क्या है इसको जाने बिना जो कि उच्च न्यायालय में अंर्तनिहित शक्तियों की रक्षा करता है न्याय के लिए राज्य और इसके निवासियों में ,यह असम्भव होगा कि इस प्रकार के विशेष क्षेत्राधिकार की व्यापकता और रूपरेखा को माना (प्रसंसित) नहीं किया जा सकता।

24. हरियाणा राज्य और भजनलाल के वाद में धारा 482 द.प.स.की व्यापकता को विस्तृत तरीके से इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है यद्यपि इस उपरिवाद में न्यायालय द्वारा एफ. आई.आर. सहित फौजदारी प्रक्रिया को रद्द करने की शक्ति के बारे में विचार किया गया है। यह वाद उस प्रथम सूचना रिपोर्ट के तहत संस्थित किया गया जो कि धारा 161,165,भ.द. स. और धारा 5 (2) भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1947 के तहत है। यह न्यायालय व्यापक रूप से धारा 482द.प.स. और अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में आपराधिक अन्वेषण की प्रक्रिया को रद्द करने की व्यापकता पर विचार करता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में उद्घोषित विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखने के बाद यह न्यायलय वादों की विभिन्न श्रेणियों को इन उदाहरणें के साथ प्रस्तुत करता है जहां धारा 482 द.प.स. के अन्तर्गत कारित की जाने वाली शक्तियां दी गई है जिसमें जिसके द्वारा न्यायालय में प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोका जा सकें और न्याय की रक्षा को सुनिश्चित किया जा सकें।

25. पैरा 102 जो उन मामलों की साथ श्रेणियों को शामिल करता है जहां धारा 482 द.प.स. के तहत शक्ति का उपयोग किया जा सकता है (भजनलाल मामला, एस सी सी पी पी 378–79)

''102..... अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के अभ्यास से संबंधित निर्णयों की किएक श्रृंखला में इस अदालत द्वारा 14 अध्याय के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधान और कानून के सिद्धांतों की व्याख्या की पृष्टिभूमि में धारा 482 के तहत निहित शक्तियां है। ऊपर जो संहिता हमने निकाला है और पुनःपेश किया है, हम उदाहरण के माध्यम से मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते है जिसमें शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है या तो किसी भी अदालत की प्रक्रिया का दुरूपयोग रोकने के लिए अन्यथ न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के लिए।

हालांकि यह हो सकता है किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और प्र्याप्त रूप से चरणबद्ध और अनम्य दिशा–निर्देशें या कठिन फार्मला को रखना संभव नहीं है और नाना–प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना जहां ऐसे शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए।

(1). जहां शिकायत के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गए आरोप, भले ही उन्हे उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्ट्या किसी भी अपराध का गठन नहीं करता है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाता है

(2). जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरेाप और अन्य सामाग्री यदि कोई हो,तो प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करता है, एक मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया गया है जो कि संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में है।

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(3) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसी के समर्थन में एकत्रित साक्ष्य किसी भी अपराध के कमीशन का खुलासा नहीं करते और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते है।
(4) जहां प्राथमिकी में आरोप संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते है लेकिन केवल एक गैर संज्ञेय अपराध का गठन किया जाता है, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कोई जांच नहीं की जाती है, जैसा कि संहिता की धारा 155 (2) के तहत विचार किया गया है।
(5). जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गये आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से अनुचित है, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।
(6) जहां संबंधित अधिनियम पर संहिता के प्रावधानों में किसी में (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही की निरंतरता और । या जहां कोाई विशिष्ट प्रावधान है, में व्यक्त की गई कानूनी प्रक्रिया है। संहिता संबंधित अधिनियम है, जो पीडि.त पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावशाली समाधान प्रदान करते है।
(7) जहां एक आपराधिक कार्यवाही प्रकट होती है वह दुर्भावना के साथ उपस्थित होती है और / या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से आरोपी पर प्रतिशोध लेने और निजी और व्यक्तिगत शिकायत के कारण उस पर प्रतिशोध करने के उद्देश्य से की जाती है।
20. कई अन्य मामलों का उल्लेख करने के बाद, इस अदालत ने पैराग्राफ संख्या 41 में निम्नलिखित अवलोकन किया और निष्कर्ष निकाला।
''41.'' धारा 482 द.प.स. के तहत उच्च न्यायालय को दी गई निहित शक्ति ,न्याय की उन्नति के उद्देश्य के साथ है। यदि न्यायालय की प्रक्रिया को किसी व्यक्ति द्वारा किसी तिरस्कारपूर्ण उद्देश्य के साथ दुरूपयोग करने की कोशिश की जाती है, तो न्यायालय को दहलीज पर प्रयास को विफल करना होगा। अदालत इस मामले में एक मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दे सकती है यदि मामला हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल में इस न्यायालय द्व ारा निस्संकोच रूप से किसी श्रेणी में आता है, तो न्यायिक प्रक्रिया एक गम्भीर कार्यवाही है जिसे अनुमति नहीं दी जा सकती।
जब यह इंगित करने के लिए समग्री होती है कि एक आपराधिक– कार्यवाही दुर्भावना के साथ भाग लेती है और कार्यवाही को दुर्भावनापूर्ण रूप से एक गुप्त उद्देश्य के साथ स्थापित किया जाता है, तो उच्च न्यायालय धारा 482 द.प.स. के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में संकोच नहीं करेगा। हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल के श्रेणाी 7 के तहत कार्यवाही को समाप्त करने के लिए, जो निम्न प्रभाव के लिए (एस सी सी पी 379,पैरा 102)
''102.'' (7). जहां आपराधिक कार्यवाही प्रकट रूप से दुर्भावना के साथ होती है और। या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से अभियुक्तों पर प्रतिशोध लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत रूप से उकसाने के उद्देश्य से एक मंशा के साथ बनाई जाती है।
श्रेणाी 7 ऊपर वर्तमान मामले के तथ्यों में स्पष्ट रूप से निहित है। हालांकि,उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल के फेसले को नोट किया है, लेकिन वर्तमाल मामले के प्रासंगिक तथ्यों का विज्ञापन नहीं किया जिन सामग्रियों में अंतिम रिपोर्ट आइ.ओ. द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार, हम पूरी तरह से संतुष्ट है कि वर्तमान एक उचित मामला है जहां उच्च न्यायालय को धारा 482 द.प.स. के तहत अपने *अ*धिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
21– आपराधिक मुकदमें को तभी आगे बढ.ने की इजाजत दी जा सकती है जब कोई प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा हो। इस न्यायालय ने देखा कि न्यायिक प्रक्रिया एक गम्भीर कार्यवाही है।
जिसे उत्पीड.न के साधन में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि उच्च न्यायालय को पता चलता है कि हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल, 1992 अनुपूरक (1) एस सी सी 335, में इस अदालत द्वारा निर्धारित मापदंडों को रद्द करने के लायक है, तो उच्च न्यायालय को धारा 482 द.प.स. के तहत अधिकार क्षेत्र की कवायद में संकोच नहीं करना चाहिए।

<u>अस्वीकरण</u>
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

22. अब, हम धारा 498 ए और डी.पी. एक्ट की धारा 3/4 के तहत शिकायत में लगाये गये आरोपों पर वापस लौटते है। उपरोक्त तथ्यों में शिकायत में लगाये गये आरोपों पर गौर करने से पहले कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सी.जे.एम, गौतम बुद्ध नगर के समक्ष 10.05.2015 को प्रतिवादी नंबर–2 द्वारा शिकायत दर्ज की गई, उस तारीख से पहले, तलाक के लिए एक याचिका नयन चोपड.ा द्वारा 23.10.2014 को पहले ही कालामाजू देश परिवार विभाग मिशिगन के लिए सर्किट कोर्ट में दायर की जा चुकी है। यह रिकार्ड में है कि शिकायत दर्ज करते समय वंशिका बोवल कनाडा में रह रही थी जब कि नारायण चोपड. ा अमेरिका में रह रहे थे। दोनों अलग– अलग रह रहे थे। तलाक के प्रार्थना पत्र में पति और पत्नी नवम्बर, 2013 में अलग हो चुके थे। यह अभिलेख में है कि उस दिन 10.5.2015 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतम बुद्धनगर के न्यायालय में फौजदारी में दावा/शिकायत रिस्पोन्डेन्ट (प्रतिवादी) नं–2 द्वारा किया गया था, वंशिका न तो भारत में थी और वह उस वक्त भी भारत में नहीं थी जब वादी के शिकायती बयान को और उसके दो गवाहों के बयान को दर्ज किया गया था। यह शिकायत वंशिका के द्वारा नहीं बल्कि उसके पिता रिस्पोन्डेन्ट (प्रतिवादी) नं–2 के द्वारा दाखिल की गयाी थी। तलाक के प्रार्थना पत्र को स्टेट आफ मिशिगन में दाखिल किया गया, वंशिका बोबाल की तरफ से उसके अधिवक्ता प्रस्तुत हुए। निर्वाह भत्ते, पेंशन लाभ और अवकाश लाभ के साथ तलाक अभिस्वीकृति प्रदान की गयी। जीवन बीमा, संपत्ति निपटान दहेज को के अलावा दावों के आपसी प्रकाशन और अन्य पहलुओं को भी 24.02.2016 को प्रदान किया गया।

23– रिकार्ड में यह कुछ भी नहीं है कि पार्टियों के बीच तलाक के आदेश मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाए गए थे जब उन्होंने अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रक्रिया जारी की थी। लेकिन हम श्री संतोष कृष्ण के इस प्रस्तुतीकरण से सहमत हैं कि नयन चोपडा और वंशिका के बीच पारित तलाक की डिक्री किसी अपराधिक कृत्य को हटा नहीं सकती है जो कि भारतीय दण्ड संहिता और दहेज निषेध अधिनियम में उद्धृत किसी अपराध की परिभाषा में आता हो और आपराधिक कृत्य की इसके बावजूद कि तलाक की डिक्री प्रदान की गयी या जॉच नहीं की जानी चाहिए जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में यह कारित किया गया है।

24– यदि शिकायत के आरोपों की बात करें तो जो कि धारा *498ए और 3/4 दहेज* निषेध अधिनियम से सम्बन्धित हैं। तो शिकयत के अवलोकन यह प्रदर्शित होता है कि अपीलकर्त्ता के खिलाफ जो आरोप हैं जो कि धारा *498ए और 3/4 डी.पी. अधिनियम (दहेज निषेध) से सम्बन्धित* है सामान्य और दरकिनार करने लायक हैं। शिकायत में कोई विशेष घटना, दिनॉक और घटना से सम्बन्धित विवरण उद्धृत नहीं है। दहेज की प्रक्रिया के बाद दायर की गयी शिकायत नयन चोपडा द्वारा मिशिगन स्टेट में प्रारंभ की गयी थी, जहॉ वंशिका ने उपस्थित हुयी थी और अंततः तलाक प्रदान किया गया था। तलाक की याचिका दाखिल करने के कुछ महीने बाद, शिकायत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर की अदालत में प्रस्तुत की गयी उन आरोपों के साथ जो कि ऊपर वर्णित हैं। घटना के तारतम्यता और तथ्य तथा परिस्थितिया हमें इस निष्कर्ष पर पहुचाते है कि शिकायत जो कि धारा *498ए और 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अन्तर्गत की गयी थी वे नयन* चोपडा के द्वारा स्टेट आफ मिशिगन में दाखिल दहेज याचिका की प्रक्रिया की जोरदार प्रतिक्रिया है।

25– किसी भी व्यक्ति के संबंध में कोई विशेष आरोप नहीं है इसके अतिरिक्त सभी के खिलाफ सामान्य आरोप है उदाहरणार्थ उन्होंने शिकायतकर्ता की पुत्री को 1 करोड की अतिरिक्त दहेज की मॉग के साथ सताना शुरू किया और यह तथ्य कि पति के सभी रिश्तेदार नामित–पिता, माता, भाई, माता की बहन (मौसी), मौसा को भी साथ में नामित किया गया जो कि स्पष्टतः प्रदर्शित करता है कि प्रार्थनापत्र जो कि धारा *156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल कि गयी थी वह केवल प्रार्थियों को परेशान करने के लिए की गयी थी। बाद में, धारा 156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल की गयी प्रार्थना पत्र के पहले किसी भी प्रकार के दहेज की मांग से* सम्बन्धित आरोप की शिकायत लडकी या उसके पिता द्वारा नहीं की गयी।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जब दोनों नयन चोपडा और वंशिका नवम्बर, 2013 अलग–2 रहना शुरू किये तो यदि वहॉ कोई दहेज की मॉग या सताने की बात होती तो लडकी ने पुलिस या किसी अन्य प्राधिकारी से शिकायत की होती। बाद में मिशिगन अमेरिका की दहेज के वाद की प्रक्रिया में पक्षकार अपनी सम्पत्ति के बॅटवारे को लेकर सहमत थे जिसमें शादी के समय दी गयी उपहार भी सम्मिलित थे लेकिन उस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से पति या उसके परिवारजनों से सताने सम्बन्धी शिकायत नहीं की गयी थी। तलाक के निर्णय में निम्नलिखित खण्ड सम्मिलित हैं जो कि दहेज के बदले सम्पत्ति के बन्दोबस्त से सम्बन्धित प्रावधान हैं।

"दहेज के बदले में सम्पत्ति के बन्दोबस्त के प्रावधान"

1– प्रत्येक पक्ष यह निश्चित करता है कि वह (लडका या लडकी) पूर्णतः और सही तरीके से उनके द्वारा अर्जित सभी सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करेंगे जिसमें उनका कोई लाभ हो। अपने हस्ताक्षर को करते हुए इस निर्णय पर वादी और प्रतिवादी यह निश्चित करते हैं कि प्रत्येक ने सभी सम्पत्ति को प्रदर्शित किया है जो कि वे रखते हैं या जिसमें उनका कोई लाभ हो जो कि उनके द्वारा अकेले रखी गयी है या सम्मिलित रूप से दोनों द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रखी गयी है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी एक पक्ष को लाभ देने के लिये रखी गयी है। तलाक के इस फेसले में यह आशा की गयी है कि यह सभी पक्षों की संपत्ति का वितरण और आवंटन है और यह भी इरादित है कि तलाक के इस फेसले में पार्टियों की संपत्ति के हितों की घोषण करे जो कि इस निर्णय के प्रवेश के रूप में होगी। यदि कोई एक पक्षकार जान बूझकर या अनजाने में अपनी संपत्ति को प्रकट करने में नाकाम हो जाये तो संपत्ति वितरण के मुद्दे को दुबारा खोला जाये। किसी भी एक पक्षकार के प्रस्ताव पर उन सम्पत्तियों के वितरण और निश्चितीकरण के लिए जिन्हें पूर्ववत् प्रकट नहीं किया गया है।

2– अदालत को यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों ने अपनी पारस्पारिक संतुष्टि के बीच व्यक्तिगत संपत्ति, घरेलू फर्नीचर और उपकरणों, नकदी, बचत और खातों और वाहनों की जांच के सभी लेखों को नीचे दिये गये अनुसार विभाजित किया है। विभाजित की गई संपत्ति उस पार्टी की व्यक्तिगत संपत्ति होगी जिसके कब्जे में या नियंत्रण में व्यक्तिगत संपत्ति के प्रत्येक लेख अब पाये जाते है और प्रत्येक पार्टी के बचाव और दायित्व से दूसरी पार्टी हानिरहित होगी।

(क) पक्षकारों ने सभी गहनों को दूसरी पार्टी को लौटाने के लिए सहमति प्रदान की, जो वर्तमान में उनके कब्जे में है, जो उनके विवाह के परिणामस्वरूप हासिल की गई थी। वादी ने यह गवाही दी कि उसके पास केवल एक आभूषण का सामान था जो उसने प्रदान किया प्रतिवादी–क के पास केवल एक सोने की ॲगूठी थी। वादी ने गवाही दी कि उसके पास कोई आभूषण नहीं है।
पक्षकारों ने यह सहमति जतायी कि उनके सम्बन्धित परिजन एक दूसरे को वे सभी आभूषण लौटा देंगे जो दान के रूप में दूसरे को दिये गये है और उनके कब्जे में है जो कि उनके द्व ारा शादी में प्राप्त किये गये थे। पक्षकार यह सभी चीजें एक दूसरे को एक निश्चित समय और स्थान पर आदान–प्रदान करने को सहमत होते हैं।

3. इसके अलावा अन्यथा उपलब्ध कराए जाने के बाद, प्रत्येक पक्ष अलग होने के बाद उसके या उसके द्वारा लिए गए ऋणों के लिए उत्तरदायी होगा और सभी दायित्व से दूसरा पक्ष हानिरहित रक्षित होगा।

4. इसके अलावा अन्यथा उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त, प्रत्येक पक्ष उन ऋणों के प्रति उत्तरदायी होगा जो उस व्यक्ति के नाम की हो और उन ऋणों के लिए जो कि उसे प्रदान की गयी संपत्ति से जुडी हो जो तलाक के निर्णय के अनुसरण में हो तथा प्रत्येक पक्ष एक दूसरे से हानिरहित रक्षित होगा।

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

5. इसके अलावा अन्यथा उपलब्ध कराये जाने पर प्रत्येक पक्ष सभी मुद्राओं को अपने सम्बन्धित नाम पर रखेगा जो कि सम्मिलित हो, लेकिन जॉच खाता, बचत खाता जमा पूॅजी के प्रमाण पत्र स्टॉक, बान्ड, IRAS या 401 ks तक सीमित न हो।

6. यहाँ पक्षकारों का कोई संयुक्त ऋण नहीं है इसके अतिरिक्त जैसा कि यहॉ नीचे प्रदान किया गया है।

7. वादी नयन चोपडा प्रतिवादी द्वारा दावा रहित, मुक्त और सभी दावों से रहित 2013 होण्डा सीआरवी प्राप्त करेगा वंशिका बोबाल और वादी इस बात पर सहमत होते हैं कि वे सभी दायित्वों का वहन करेंगे और प्रतिवादी की हानिरहित रक्षा करेंगे। प्रतिवादी इन सभी हक को जो इन गाडियों से सम्बन्धित हैं को यदि हस्तान्तरण की आवश्यकता हो तो वादी को हस्तान्तरित करेंगे।

8. वादी नयन चोपडा प्रतिवादी द्वारा दावा रहित, मुक्त और सभी दावों से रहित 2005 टोयोटा कैमरो प्राप्त करेंगे, वंशिका बोबाल और वादी इस बात पर सहमत होते हैं कि वे सभी दायित्वों का वहन करेंगे और प्रतिवादी की हानिरहित रक्षा करेंगे।

9. प्रत्येक पक्ष के लिए किए गऐ प्रावधान एक दूसरे की भूमि में अधिकार या अधिकार के एवज में होंगे और प्रत्येक पक्ष उसके बाद अपनी शेष भूमि को स्वतंत्र, स्पष्ट और किसी भी प्रकार के दहेज से तथा दाम्पत्य अधिकार और दावों से मुक्त होंगे, कथित प्रावधान और सभी दावे पक्षकारों की पूर्ण संतुष्टि में होगे या तो किसी सम्पत्ति से संबंधित होगे,जिसका दूसरा पक्ष अधिकारी है या तो उसका या दूसरे पक्ष का जिसमें उसका कोई हित हो।

10. पक्षकारों ने यह वारंट दिया कि न तो किसी अन्य पार्टी के नाम पर कोई ऋण है, या जिस पर अन्य पक्ष उत्तरदायी हो सकता है, जिसे स्पष्ट रूप से इस निर्णय में निपटाया नहीं गया है।

तलाक का यह निर्णय जीवित पति या पत्नी के सभी अधिकारों की रद्दीकरण का गठन करेगा, लेकिन ———— भत्ते, चुनाव, छूट संपत्ति ई निपटान और प्रत्येक पार्टी द्वारा परिवार भत्ता दूसरे की संपत्ति में और सभी की सम्पत्ति जो कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष के लिए परीक्षण और अंतरंग उत्तराधिकार या किसी भी प्रावधान के आधार पर अन्यथा पारित होगी और तलाक के इस निर्णय के प्रवेश से पहले निष्पादित किया जाएगा।

26. तलाक की प्रक्रिया में यह निर्णय यह निर्देशित करता है कि नयन चोपडा और वंशिका ने सभी मुद्दों को जो कि उनके मध्य तलाक की प्रक्रिया के दौरान मिशिगन में संपत्ति के बॅटवारे के सम्बन्ध में थे निपटा दिया और दोनों पक्ष भारत में नहीं थे और शिकायत जो कि धारा *156 (3) द.प्र.स. और आक्षेप जोकि धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता और दहेज निषेध अधिनियम* के अन्तर्गत किये गये वे सभी केवल प्रार्थी को परेशान करने और दबाव बनाने के उद्देश्य से किये गये।

27. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में एक बात की और ऑकलन करने की आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में उन आक्षेपों को जो कि शिकायत में लगाये गये थे को उद्धृत नहीं किया, बुलावे के पत्र को भेजने और कानून के सिद्धान्त को ध्यान में रखने के अलावा। इस न्यायालय के पास यह अवसर था कि वह विचार करे। उस समान आदेश को जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने धारा *482 द.प्र.सं. की प्रार्थनापत्र को* ***जगदीश प्रसाद और अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य और अन्य*** *के वाद में दिया था। इस कथनीय वाद में भी धारा 482 द0प्र0स0 के* प्रावधान के अन्तर्गत यह बुलावे की चुनौती का आदेश और साथ ही साथ शिकायत की सम्पूर्ण प्रक्रिया जहॉ आक्षेप धारा 498ए और 323 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत और धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अन्तर्गत लगााये गये पाया गया है पैराग्राफ संख्या 3 में उन तथ्यों का जो प्रार्थनापत्र के दाखिले से सम्बन्धित थे धारा 482 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष दर्ज किये गये। इस न्यायालय ने निम्नलिखित ऑकलन जो कि पैराग्राफ 6 से 9 में थे प्रदान किये।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात और वाद के बिन्दुओं के अवलोकनार्थ हम खण्डित आदेश को अलग करते हैं और वाद की उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता की प्रार्थनापत्र को निर्णीत करने की मॉग करते हैं। जिसमें से यह अपील उत्पन्न होती है जो कि योग्यतम और नवीन है और कानून के अनुरूप हैं

7. खण्डित आदेश के अवलोकनार्थ हम यह पाते हैं कि एकल न्यायाधीश ने कानून के सिद्धान्त को उद्धृत किया है जो कि इस न्यायालय द्वारा पारित की गयी है जोकि विभिन्न निर्णयों में वादों के मध्यस्थता से तथा उच्च न्यायालय की शक्तियो से सम्बन्धित हैं जिन्हें धारा 82 और समाप्त पैरा 2 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है लेकिन जिसका उद्धरण वाद के तथ्यों और वाद विवाद को पोषित करने के लिए किया गया है। अतः हम वाद की तथ्यात्मक चरम तथ्यों को जानने में असमर्थ है इस खण्डनीय आदेश के अवलोकन और पठन उपरान्त/बजाय इस न्यायालय द्वारा दिये गये विभिन्न निर्णयों को और विधिक सिद्धान्तों के

8 हमारे विचार में एकल न्यायाधीश को पहले मामले की संक्षिप्त तथ्यों को तथ्यपरक आव्यूह को समझने की दृष्टि से निर्धारित करना चाहिए था, और फिर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों के आलोक में कार्यवाही के लिए की गई चुनौती की जॉच की गई। अपीलकर्ताओं द्वारा अर्जित किए गए निष्कर्षो के आधारों को करने के लिए देखे कि क्या वहां कोई हस्तक्षेत कहा जाता है या नही, हम यह प्राप्त करते है कि उक्त कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किये गए आदेश पर नहीं किया गया।

9. अतः हम अपने को उच्च न्यायालय द्वारा पारित इस प्रार्थना पत्र को आवेदन के निपटान के साथ पुष्टि करने में असमर्थ है और रद्द किये गए आदेश को अलग करने के लिए इच्छुक है और कानून को ध्यान में रखते हुए योग्यता के आधार पर आवेदन को तय करने के अनुरोध के साथ मामले को उच्च न्यायालय में भेजते हैं। जैसा कि एक राय बनाकर वाद को उन तर्कों के प्रकाश में जो उपरि वर्णित हैं रिमांड पर लिया गया है। हम मामले की विशेषता के आधार पर विचार करना उचित नहीं समझते हैं।

28. जो कुछ भी इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में पैराग्राफ नं0 7 और 8 में कहा गया है वह उचित रूप से वर्तमान वाद में लागू होता है और उच्च न्यायालय का आदेश केवल इस आधार पर रद्द किए जाने योग्य है।

29. एक और प्रस्तुतीकरण जो कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया है को विचार किया जाना जरूरी है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि शिकायत किसी समर्थ व्यक्ति द्वारा नहीं दाखिल की गयी। यह प्रस्तुत किया गया कि शिकायत वंशिका द्वारा नहीं की गयी, लेकिन केवल वंशिका के पिता द्वारा दाखिल की गयी। अतः यह संधार्य (बनाये जाने) करने योग्य नहीं है। उपरोक्त प्रस्तुतीकरण श्री संतोष कृष्णन द्वारा खंडित किया गया है। उन्होंने यह तर्क दिया कि *ारा 498ए के अन्तर्गत वाद संस्थित करने के लिए यह जरूरी नहीं कि शिकायत अपराध* के भुक्तभोगी द्वारा दाखिल किया जाये। वह यह तर्क देते हैं कि शिकायत जो कि प्रतिवादी नं0 2 भुक्तभोगी के पिता द्व ारा दाखित की गयी है पूर्णतः धारित करने योग्य है। धारा 498ए इस प्रकार पालित होती है कि:—

498ए किसी महिला के पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला को पीडित किया जाना— जो कोई भी चाहे महिला का पति या उसके रिश्तेदार किसी महिला को पीडित करते हैं वे कारावास के दण्ड से जिसकी अवधि तीन साल और शुल्क से भी दण्डित किये जायेगे।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

विवरण– इस धारा के अन्तर्गत क्रूरता का मतलब

(**क**) किसी प्रकार का जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण जो इस प्रकृति का हो कि महिला को आत्महत्या करने के लिए प्ररित करे या गंभीर चोट या महिला की इन्द्रियों, स्वास्थ्य, (मानसिक या शारीरिक) और जीवन को खतरा कारित करे।

(**ख**) महिला का उत्पीडन जहॉ यह उत्पीडन उसको परेशान करने या किसी व्यक्ति जो उससे सम्बन्धित हो उससे किसी प्रकार की नाजायज (गैरकानूनी) मॉग किसी सम्पत्ति के लिए या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए या उसके (महिला) या उसके किसी सम्बन्धी द्वारा की गयी ऐसी मॉग हो जिसे पूरा न किया गया हो।

30. धारा 498ए उस अपराध की बात करता है जहॉ पति या उसके रिश्तेदार उस महिला को प्रति करते हैं। धारा 498ए में यह कहीं नहीं है कि जब कभी कोई महिला के प्रति क्रूरता की जाती है तो केवल उसे के द्वारा आवश्यक रूप से कोई शिकायत दाखिल की जाये। धारा 498ए के अवलोकनार्थ जैसा कि ऊपर उद्धरित है कि शिकायत धारा 498ए के अपराध के अन्तर्गत केवल महिला द्वारा दाखिल किया जाये। जोकि अपने पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का शिकार हुयी हो। अतः हम इस नतीजे पर कायम हैं कि शिकायत जो कि प्रतिवादी संख्या–2 वंशिका के पिता द्वारा दाखिल की गयी है को इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वाद संस्थित करने योग्य नहीं है।

31. धारा 498ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराध के रूप में पूर्वगामी चर्चाओं के मद्देनजर हम मानते है कि यह वाद जो कि श्रेणी 7 जो कि **स्टेट आफ हरियाणा बनाम भजन लाल** में आया है जिसे उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से धारा *482 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रयोग करने से मना कर दिया, कुछ भी हो हम यह ऑकलन करते हैं कि जो आक्षेप राजेश चोपडा के खिलाफ लगे थे धारा 323, 504 और 506 भारतीय दण्ड संहिता से* सम्बन्धित थे और कुछ अन्य विशिष्ट आक्षेप जो कि शिकायतकर्ता द्वारा समर्थित और उसके गवाहों द्वारा भी समर्थित थे साक्ष्य में पाये गये हैं। अतः इस स्तर पर यह न्यायालय यह आदेश नहीं घोषित कर सकती कि कोई घटना जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा आक्षेपित है 8.11. 2014 को घटित हुयी या आक्षेपित घटना प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा (राजेश चोपडा) कारित की गयी या नहीं। अतः हम इस बिन्दु पर हैं वह शिकायत जो कि अपराध अन्तर्गत धारा 323, 504 और 506 भारतीय दण्ड संहिता और राजेश चोपडा के विरूद्ध है।

कथित शिकायत जोकि ण में दिनॉक 17.01.17 के आदेश के साथ ली गयी, केवल इसके तहत सही ठहराया गया है जिसमें राजेश चोपडा को धारा 323, 504 और 506 के अन्तर्गत बुलाया गया।

32. **परिणाम में–**

(क) फौजदारी अपील संख्या 594, 598, 599, 597 और 596 सन 2019 (जो कि एस0एम0पी0 अपराध संख्या 8103, 8050, 8052, 8042,और 8041 सन 2018 से उत्पन्न हुयी है , को स्वीकृत किया जाता हैं । शिकायत, साथ ही साथ बुलावे के आदेश दिनांक 17.01.2017, जोकि अपीलकर्ता के सन्दर्भ में उपरिवर्णित आपराधिक अपील से सम्बन्धित है को दरकिनार (रद्द) किया जाता है।

(ख) फौजदारी अपील संख्या 595 सन् 2019 (जोकि एस0एल0पी0 अपराध संख्या 8039 सन् 2018) से उत्पन्न है। **राजेश चोपडा बनाम उ0प्र0 राज्य** और अन्य के वाद में को खण्डतः अनुमति प्रदान की जाती है। शिकायत और बुलावे के आदेश को रद्द किया जाता है जोकि धारा 498ए और धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराध से सम्बन्धित हैं।

कुछ भी हो, फिर भी शिकायत को आगे चलाया जायेगा जो कि अन्तर्गत धारा 323, 504 और 506 द0प्र0सं0 से सम्बन्धित हैं और बुलावे के आदेश को कुछ मामलों में सही ठहराया गया।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

——————————न्यायाधीश

अशोक भूषण

——————————न्यायाधीश

के0एम0जोसेफ

नई दिल्ली
अप्रैल 30, 2019

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।